

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : PA/2025/72

दिनांक : 25.07.2025

आ दे श

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक PA/2025/64 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा इस न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर द्वारा S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1687 / 2024 Ibra@Ibran S/o Mamraj Vs. State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 की पालना में दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे आवश्यक रूप से अपने कर्तव्य पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था किन्तु उक्त आदेश की पालना में अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे कर्मचारीगण अपने कर्तव्य पर आज दिनांक तक भी उपस्थित नहीं हुए हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर द्वारा उपरोक्त अंकित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के द्वारा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने को अवैध मानते हुए समस्त कर्मचारियों को दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने एवं अनुपस्थित कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जिला न्यायाधीश को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, स्थानान्तरण करने, आचरण नियमों के तहत आरोप पत्र जारी करने, निलंबन व अन्य कार्यवाही करने एवं आदेशानुसार अन्य कार्यवाही करने हेतु आदेशित/अधिकृत किया गया था। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2025 तक कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति जारी रहने की स्थिति में अनुशासन बनाए रखने एवं न्यायालय का कार्य पुनः शुरू करने हेतु ESMA लागू किए जा सकने का आदेश भी पारित किया गया है।

अतः इस न्यायक्षेत्र के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अविलंब आवश्यक रूप से अपने कर्तव्य पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होंगे अन्यथा दिनांक 28.07.2025 तक भी यही स्थिति बनी रहने पर अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध आदेशानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आदेशानुसार अन्य कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अस्थाई कार्य व्यवस्था के दौरान यदि कोई अभिलेख, दस्तावेज गायब पाया जाता है तो उसका दायित्व व जिम्मेदारी उस कर्मचारी की होगी, जिसके चार्ज में वह अभिलेख, दस्तावेज है।

(अभ्य जैन)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक : 25.07.2025

क्रमांक: PA/2025/73 जो 75

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र को प्रेषित कर लेख है कि अविलंब इस आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे एवं कर्मचारीगण को जरिए वाट्सअप एवं अन्य उचित माध्यम से सूचित किया जाए।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर निर्देश है कि अविलंब उक्त आदेश जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करे एवं जिला न्यायालय, भीलवाड़ा में पदस्थापित कर्मचारीगण को जरिए वाट्सअप सूचित करे।
3. श्री दिल बहादुर सिंह चारण, अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा भीलवाड़ा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि समस्त कर्मचारीगण को इससे अवगत कराते हुए कर्मचारीगण को आदेशानुसार अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा (राज.)